कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास/नियमन/2024–25/00404 दिनांकः– 28.10.2024

प्रेषितीः–

श्री बजरंग लाल पुत्र बनवारी लाल जाति माली
निवासी आरटीओ ऑफिस चौराहा के पास,
राधाकिशनपुरा तह. व जिला सीकर।

विषयः– राजस्व ग्राम चन्दपुरा तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 2103/333 रकबा 0.3886 है., 2106/333 रकबा 0.3850 है. व खसरा नम्बर 2104/333 रकबा 0.0350 है. अर्थात् कुल रकबा 8086.00 वर्गमीटर में से 7672.63 वर्गमीटर (आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान अनुसार) भूमि में हनुमान नगर आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम चन्दपुरा तह. सीकर ग्रामीण के खसरा नम्बर 2103/333 रकबा 0.3886 है., 2106/333 रकबा 0.3850 है. व खसरा नम्बर 2104/333 रकबा 0.0350 है. अर्थात् कुल रकबा 8086.00 वर्गमीटर में से 7672.63 वर्गमीटर (आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान अनुसार) भूमि में हनुमान नगर आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 07, 08, 16, 23 व 28 कुल भू–खण्ड–5) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए. वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

RajKaj Ref
11468679

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2024.10.28 17:56:30 IST
Reason: Approved

HANUMAN NAGAR

LAYOUT PLAN OF KHASRA No. 2103/333, 2104/333, 2106/333 AT VILL. CHANDPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)
PURPOSE :- RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT -BAJRANG LAL SAINI S/o BANWARI LAL SAINI, NEAR R.T.O. OFFICE, WARD No. 02, RADHAKISHANPURA, SIKAR (RAJ.)

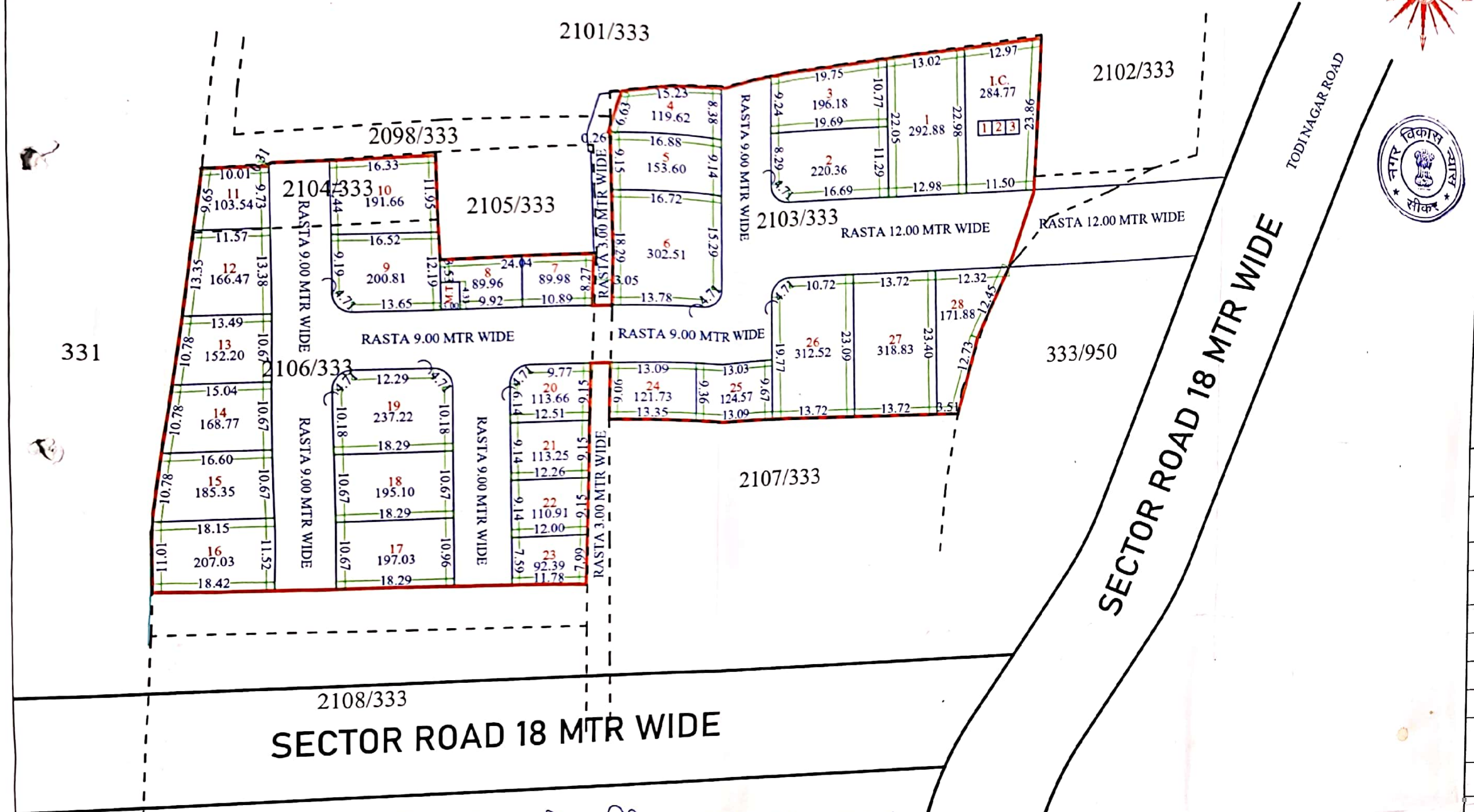

URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

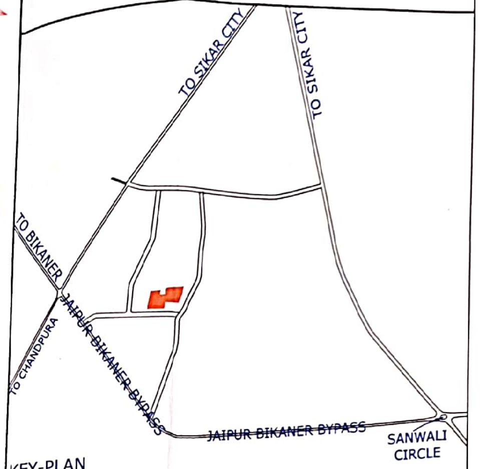

KEY-PLAN
not to scale

SURVEY WISE LAND USE DETAILS

S. No.	LAND USE	AREA (Sq. Mtrs.)	Percent
1.	Residential	4949.97	64.51
2.	Road	2424.90	31.61
3.	Mobile Tower	12.99	0.17
4.	INFORMAL COMM.	284.77	3.71
	Total Area	7672.63	100.00

SCHEME PLOTS DETAIL

		NO.
1.	PLOTS	
2.	RESIDENTIAL	28
3.	INFORMAL COMMERCIAL	03

SCALE - 1CM= 6 MTR.

——	SCHEME BOUNDARY
- - -	KHASRA LINE
——	PLOT BOUNDARY

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN METER

इस योजना में प्रदर्शित ABCDEFGHIJKLMNOA
[illegible]
अनुरूप है। खसरा 2098/333 बिनी खातेदारी में रास्ता
दर्ज है। मौके पर प्रचलित रास्ता है।
12R-15IT
25/10/24

हनुमान नगर आवासीय योजना का ले–आउट आज दिनांक 25/10/24 को ले–आउट कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

25/10/2024 उप नगर नियोजक नगर सुधार न्यास सीकर	25/10/24 बी. एल. शर्मा अधिशाषी अभियन्ता न. वि. न्यास, सीकर	25-10-2024 सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

SURVEYED BY :-
SATYAM ASSOCIATE
10 GOVIND DEV MARKET,
Nr. CHANDPOL GATE, SIKAR(RAJ.)
CELL:- 9829251176, 9887007419

Scanned with OKEN Scanner